



संख्या-18/2026/001-478/1624580/12-2099/58/2022

प्रेषक,

सर्वेश कुमार सिंह,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 13 अप्रैल, 2026

विषय-चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-103-बीज-04-आधारिक बीज भण्डार-0401-खाद्यान्न/दलहन/तिलहन/बीज की लागत और प्रासंगिक व्यय के सापेक्ष 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एस0एफ0/37-जी/बीज भण्डार योजना/2026-27, दिनांक 07 अप्रैल, 2026 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदया चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 की अनुदान संख्या-011 के लेखाशीर्षक 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-103-बीज-04-आधारिक बीज भण्डार-0401-खाद्यान्न/दलहन/तिलहन/बीज की लागत और प्रासंगिक व्यय योजना के मानक मद 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में प्राविधानित धनराशि रुपये 45000.00 लाख के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि रुपये 45000.00 लाख (रुपये चार अरब पचास करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्त/प्रतिबन्ध

1. स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय योजना की निर्धारित दिशा-निर्देशों/गाइडलाइन एवं संगत नियमों के अनुसार ही किया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
5. निर्गत वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, इसका उत्तरदायित्व कृषि निदेशक का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

6. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।
7. स्वीकृत धनराशि से प्रमाणित बीजों के क्रय हेतु क्रय संबंधी संगत शासनादेशों/व्यवस्था में निर्धारित क्रय प्रक्रियाओं/व्यवस्था का अनुश्रवण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
8. जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
9. यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य पूर्व में राज्य सरकार या अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है और न ही कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है अथवा किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।
10. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार किया जायेगा। जहाँ तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय।
11. निर्गत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे।
12. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
13. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28 मार्च 2026 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,50,00,00,000 (रुपये चार अरब पचास करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 011 लेखा 4401001030401** खाद्यान्न/दलहन/तिलहन/बीज की लागत और प्रासंगिक व्यय मानक मद 43 सामग्री एवं सम्पूर्ति के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28 मार्च 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
सर्वेश कुमार सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-18/2026/001-478(1)/1624580/12-2099/58/2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)- प्रथम/द्वितीय, 30प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा)- प्रथम/द्वितीय, 30प्र0 प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0 प्रयागराज।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ।
5. अपर कृषि निदेशक, (बीज एवं प्रक्षेत्र), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, 30प्र0, द्वारा कृषि निदेशक, 30प्र0।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2, कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, 30प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सर्वेश कुमार सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।